न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 364 / 2022 निर्णय दिनांक :–

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद युनुस जाति मुसलमान निवासी सरोली, तहसील दूनी, जिला टोंक राज0
2. रईस पुत्र ईब्राहिम जाति मुसलमान निवासी सरोली, तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रामकिशन पुत्र नन्दराम जाति जाट मुसलमान निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोक राज0
4. हंसराज पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी सरोली, तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. शिवजीलाल पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :– श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 7 खसरा नम्बर 903 रकबा 0.53 है वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं लठ के जोर पर प्रार्थीगण को डरा धमकाकर प्रर्थीगण की भूमि में नजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतों में मिला लिया और प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बुआई व फसल काश्त करने में बेजा मजामत करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में लडी मेड, डोल एवं सीमा चन्ह को नष्ट

कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है। प्रार्थना पत्र को श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदार जिनके खसरा नम्बर 902, 904, 992, 993, 995 से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिकमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में अंकित खाता संख्या 7 खसरा नम्बर 903 रकबा 0.53 है वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली